रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2009/आश्विन 21, 1931
No. 192] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2009/ASVINA 21, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2009

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2009

सं. भाराराप्रा/11011/09/2009-एचआर-I.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2009 कहलाए जाएँगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 3 में, खण्ड (जे) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जे) चयन समिति" का अभिप्राय विनियम 11 में विनिर्दिष्ट संघटन के साथ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के चयन पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति से है ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6. छूट - अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में निम्नानुसार छूट दी जा सकेगी :-

क्र.स.	पदनाम	आयु छूट की अधिकतम सीमा
(क)	मुख्य महाप्रबंधक और समान पद	एक वर्ष
(ख)	अन्य पदों के लिए (i) जहाँ स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष अथवा अधिक है	तीन वर्ष
	(ii) जहाँ स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष परन्तु 10 वर्ष से कम है	दो वर्ष"

4. मूल विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8. परिवीक्षा - सीधी भर्ती अथवा लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती अथवा आमेलन अथवा प्रोन्नति द्वारा अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए कि परिवीक्षा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि कोई व्यक्ति उस फीडर कैडर जिसमें वह प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया था, के सीधे चैनल में पद पर प्रोन्नत हुआ है । तथापि प्रोन्नति पर परिवीक्षा के उपबंध तभी लागू होंगे जब पद का वर्गीकरण पद अर्थात पद के समूह में परिवर्तन हो ।

परन्तु यथास्थिति प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को और छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।"

5. मूल विनियमों के विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

"(1) सभी अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा निवृत्ति के अनुसार सेवा निवृत्त होंगे ।

इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, यदि उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह तीन मास पहले लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बदले तीन मास के वेतन और भत्ते द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकेंगे :

(i) यदि वह 35 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले, 50 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात् ग्रुप "ए" या ग्रुप "बी" में स्थायी या अस्थायी आधार पर प्राधिकरण में सेवा में आता है;

(ii) अन्य सभी मामलों में, उसने 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 11 में, उप विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

"(5) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी चयन समिति के लिए, यदि आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र से किसी बाहरी विशेषज्ञ को शामिल कर सकता है ।

(6) समिति का कोरम 75 प्रतिशत अथवा अधिक होने पर ही चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी ।"

7. मूल विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन सहित आवेदकों/सरकार यथास्थिति, से आवेदन अथवा नामांकन प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली तीन अधिकारियों की एक छानबीन समिति के द्वारा उनकी जाँच की जाएगी (जिसमें एक अधिकारी विज्ञापित पद के स्तर से कम से कम एक स्तर ऊपर का होगा, दूसरा मानव संसाधन/प्रशासन प्रभाग से होगा और एक अन्य अधिकारी होगा) । छानबीन समिति विनियमों में उस पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदन पत्रों की जाँच करेगी और चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोंनों के आधार पर अंतिम चयन के लिए विचार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी ।

(3) चयन समिति गुणावगुण के आधार पर अभ्यर्थियों की नामिका तैयार करेगी जो रिक्तियों की संख्या तक प्रतिबंधित होगी । तथापि संभाव्य स्थितियों के लिए एक आरक्षित सूची बनाई अथवा नहीं बनाई जा सकेगी । नामिका में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के मामले में, आरक्षित सूची निष्क्रिय होगी । सेवा निवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों के सिवाय नामिका की वैद्यता के दौरान उत्पन्न हुई नई रिक्ति को अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची में से नहीं भरा जाएगा । चयन किए गए अभ्यर्थियों की नामिका एक वर्ष तक लागू रहेगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम अगले छह माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/09-असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआई-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भाराराप्रा/12011/1/95-प्रशा.(भाग), तारीख 20 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंण्ड 4, तारीख 20 जनवरी, 2009 में किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई बात पर इस संशोधन का प्रख्यापन नहीं पड़ेगा ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2009

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2009

No. NHAI/11011/09/2009-HR-I.—In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 3 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

"(j) Selection Committee" means a committee constituted by the Chairman to consider selection of officers or employees with composition specified in regulation 11."

3. For regulation 6 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"6. Relaxation.– The upper age limit specified in column 6 of the Schedule may be relaxed, in the case of officers and employees by the Chairman as follows:

Sl. No.	Name of post	Maximum limit of age relaxation
(a)	CGM and equivalent posts	One year
(b)	For other posts:- (i) Where the minimum experience specified in column 7 is 10 years or more	Three years
	(ii) Where the minimum experience specified in column 7 is 3 to less than 10 years	Two years"

4. For regulation 8 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"8. Probation.– Every person appointed to a post specified in column 1 of the Schedule by the method of direct recruitment or by direct recruitment through lateral entry or by absorption or by promotion shall be on probation for a period of one year, subject to the condition that the provision of probation shall not be applicable, if a person is promoted to a post in the direct channel of a feeder cadre to which he was initially appointed. However, the provision of probation on promotion shall be applicable when the classification of post, i.e. Group of the post changes.

Provided that the Authority or the appointing authority, as the case may be, may extend the period of probation for a further period of six months."

5. In regulation 10 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) All officers and employees shall superannuate from service at the age, as applicable to the Central Government employees.

Notwithstanding anything contained in this Regulation, the Authority, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any officer or employee by giving him a notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice:

(i) If he is, in Group-A or Group-B service or post, in a substantive, or temporary capacity and had entered service of the Authority before attaining the age of 35 years, after he has attained the age of 50 years;

(ii) In all other case after he has attained the age of fifty-five years."

6. In regulation 11 of the principal regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(5) The Appointing Authority may co-opt one outside expert from the relevant field, if deemed necessary, for any of the Selection Committee.

(6) The recommendations of the Selection Committee will be valid if the quorum of the Committee is 75% or more."

7. In regulation 12 of the principal regulations, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(2) On receipt of application or nomination from applicants / Government, including applications from eligible officers and employees, as the case may be, the same shall be got screened through the Screening Committee to be constituted by the Chairman, which shall comprise of three officers (one officer who shall be at least one level above the level of the post advertised, second from HR/Administration Division and one more officer). The Screening Committee shall screen the applications with respect to the eligibility criteria prescribed for the post in the Regulations and recommend the eligible candidates for consideration of the Selection Committee for final selection on the basis of written test or interview or both or as decided by the Selection Committee.

(3) The Selection Committee shall prepare a panel of candidates in order of merit, which shall be restricted to the number of vacancies. However, a reserve list may or may not be made for contingencies. The reserve list will become non-operational in case the empanelled candidates have joined the Authority. Any new vacancy created during the validity of the panel will not be filled by the reserve list of the candidates, except for the vacancies created due to superannuation. The panel of selected candidates shall remain operative for one year, which may be further extended for a maximum period of six months, if deemed necessary."

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT III/4/122/09-Exty.]

Foot note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/12011/1/95-Admn.(Pt.), dated 20th January, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 20th January, 2009.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

37134/09-2

IndiaCode